निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 92 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, रुद्रपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, रुद्रपुर** के माह नवम्बर 2015 से नवम्बर 2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश कुमार सिन्हा एवं श्री अक्षय रूडोला, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर 2016 से 17 दिसम्बर 2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में 7 दिसम्बर 2016 से 17 दिसम्बर 2016 तक में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पारस शर्मा, लेखा परीक्षक, श्री राघवेन्द्र सिंह एवं श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 2.11.2015 से 10.11.2015 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह सितम्बर 2014 से सितम्बर 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह नवम्बर 2015 से नवम्बर 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई के क्रियाकलाप में नहरों / बांधो का निर्माण / संचालन एवं मरम्मत आदि का कार्य सम्मिलित है और इसके भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में रुद्रपुर एवं गदरपुर विकास खंड सम्मिलित है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	शून्य	शून्य	528.55	440.66	2485.77	2485.77		-87.89 समर्पण
2014-15	शून्य	शून्य	653.14	455.74	5683.31	5683.31		-198.40 समर्पण
2015-16	शून्य	शून्य	600.50	492.30	4306.60	4306.60		-109.20 समर्पण
2016-17 **(10/2016 तक)**	शून्य	शून्य	588.48	331.11	1509.89	1488.71		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

शून्य

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	AIBP	Nil	147.751	147.751	Nil
	CSSR	Nil	11.45	11.45	Nil
2014-15	AIBP	Nil	Nil	Nil	Nil
	CSSR	Nil	79.50	79.50	Nil
2015-16	AIBP	Nil	290.00	290.00	Nil
	CSSR	Nil	230.00	230.00	Nil

2016-17 (नवम्बर तक)	AIBP	Nil	Nil	Nil	Nil
	CSSR	Nil	150.00	150.00	Nil

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"अ"** श्रेणी की है। शासनादेश संख्या 1413/11-2016-01 (123)/दिनांक 05.09.2016 के विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

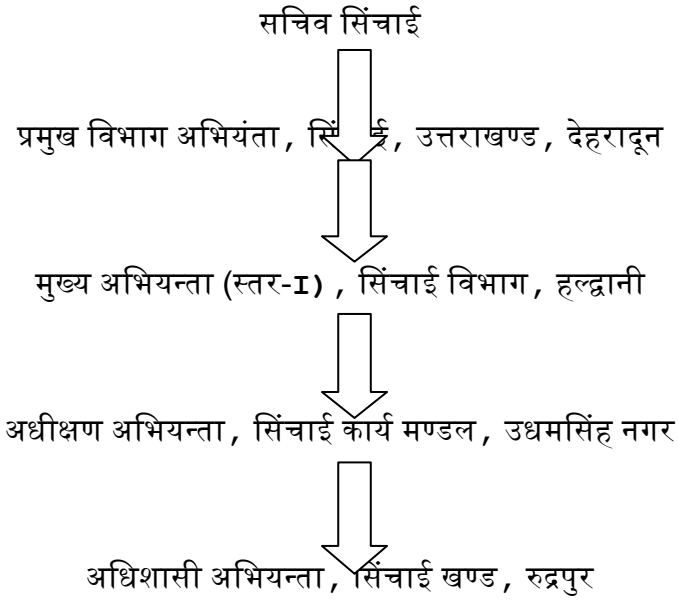

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, रुद्रपुर** के माह नवम्बर 2015 से नवम्बर 2016 तक किए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अधिक व्यय वाले माह तथा अधिक व्यय वाले पूर्ण किए गए कार्यो को आच्छादित किया गया। आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, रुद्रपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **फ़रवरी 2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **नाबार्ड के अंतर्गत विकास खंड गदरपुर में बौर एवं हरिपुरा बांध के सुधारिकरण का कार्य** का चयन विस्तृत विश्लेषण हेतु किया गया। प्रतिचयन कार्य की पूर्णता एवं उसपर किए गए माह नवम्बर 2015 से नवम्बर 2016 के दौरान किए गए व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में **एक बार दिनांक 22 जुलाई 2016** किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह मार्च 2016 एवं सितम्बर 2016 तक की गई।
5. फार्म 51: माह नवम्बर 2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` (-) 20,49,860.00

भाग द्वितीय ` 54,27,156.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह नवम्बर 2016 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	`2,66,841.86
(ख)	सामग्री क्रय	प्रचलन में नहीं है।
(ग)	नगद परिशोधन	प्रचलन में नहीं है।
(घ)	निक्षेप	`1,19,59,740.96
(ङ)	भण्डार	`1,51,433.93

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

भाग-II (ब)

प्रस्तर:1- वर्षान्त में व्यय की अधिकता (Rush of expenditure in fag end of financial year)

उत्तराखंड शासन के द्वारा विभागो को वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-अलग किस्तों में निधि का आवंटन किया जाता है ताकि समय रहते इसका उपयोग किया जा सके। खंड द्वारा आवंटन और व्यय के उपलब्ध कराये गए आंकड़ो को निम्न तरीके से सारणीबद्ध किया गया है।

Name of Head	Ist -IIIrd qtr	Ivth qtr	Total during the year	Feb-March 2016	Ist -IIIrd qtr	Ivth qtr	Total during the year	Feb-March 2016
ftyk ;kstuk	181.22	0	181.22	0	112.13	69.09	181.22	76.81
2701,0vkj0	78.43	48.06	126.49	25	65.31	61.18	126.49	59.02
2701 ,l0vkj0	0	20	20	0	0	20	20.00	20
2702 ,0vkj0	8.8	15.14	23.94	10	6.15	17.79	23.94	17.19
2711 ,0vkj0	3.73	6.12	9.85	4	2.61	7.24	9.85	7.24
4700 ukckMZ	2356.1	1059	3415.1	600	1275.86	2139.24	3415.10	2139.24
4700 ,0vkbZ0ch0ih0	290	0	290	0	270.43	19.57	290.00	19.57
4711 lh0,l0,l0vkj0	230	0	230	0	230	0	230.00	0
4701 QuhZpj	0	1	1	1	0	1	1.00	1
2701 dk;kZy; O;;	0	10	10	10	0	10	10.00	10
TOTAL	**3148.28**	**1159.32**	**4307.6**	**650**	**1962.49**	**2345.11**	**4307.60**	**2350.07**
Percentage	**73.09**	**26.91**		**15.09**	**45.56**	**54.44**	**100.00**	**54.56**

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि कुल व्यय ` 4307.60 लाख का 54.44 प्रतिशत (` 2345.11 लाख) एवं 54.56 प्रतिशत (` 2350.07 लाख) क्रमश: अन्तिम तिमाही एवं दो महीनो में किया गया था जबकि इन अवधियो में आवंटन क्रमश: कुल आवंटन ` 4307.60 लाख का 27 प्रतिशत (` 1159.30 लाख) एवं 15 प्रतिशत (` 650.00 लाख) था। यह इंगित करता है कि आवश्यक निधि प्रबंधन के अभाव में व्यय की प्रतिशतता वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन एवं दो महीनो में 50 प्रतिशत से अधिक थी जबकि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन तिमाही में कुल आवंटन `4307.30 लाख का 73 प्रतिशत निर्गत किया गया था। विस्तृत विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि नाबार्ड के अंतर्गत कुल आवंटन `3415.10 लाख का 70 प्रतिशत भाग का आवंटन प्रथम तीन महीनो (जून एवं जुलाई 2015) में हुआ था परंतु इसके अंतर्गत 62 प्रतिशत राशि (`2139.24 लाख) का व्यय अन्तिम दो महीनो में किया गया था जिसके कारण फ़रवरी एवं मार्च 2016 में व्यय क्रमश: `12.62 करोड़ एवं `10.84 करोड़ थी। पुनः खण्ड को नहरों के मरम्मत के लिए वर्ष 2015-16 में कुल `180.28 लाख का आवंटन किया गया था जिसमे प्रथम तीन तिमाही 50 प्रतिशत एवं अन्तिम तिमाही में भी 50 प्रतिशत थी। इन अवधि के दौरान व्यय, कुल व्यय का क्रमश: 41 प्रतिशत (74.07 लाख **in first three quarters**) एवं 59 प्रतिशत (106.21 लाख **in the last quarter**) थी। यह तथ्य इंगित करता है कि निधि की उपलब्धता के बावजूद नहरों के मरम्मत पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कोषागार के कार्यकलाप हड़ताल के कारण (दिसम्बर 2015 से फ़रवरी 2016) वाधित थी जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 के वर्षांत में अधिक व्यय हो गया था।

खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कोषागार की हड़ताल सिर्फ एक से डेढ़ महीने ही थी जबकि प्रथम तीन तिमाही 73 प्रतिशत बजट आवंटन के बावजूद व्यय सिर्फ 45 प्रतिशत ही थी और वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतिम दो महीनो में व्यय 55 प्रतिशत है जो यह सिद्ध करता है कि निधि का उपयोग अंतिम दो महीनो में सबसे अधिक है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:2- AIBP योजना के अंतर्गत `347.26 लाख की राशि व्यय होने के बावजूद योजना का अपूर्ण रहना।

AIBP के अंतर्गत उधमसिंह नगर के रुद्रपुर विकास खंड में नहरों के **lining** के कार्य हेतु दो योजनाओ की वित्तीय स्वीकृति **`330.96 lakh** एवं **`241.55 lakh** फरवरी में प्रदान की गयी थी। इन योजनाओ के अंतर्गत क्रमश: 6 एवं 4 नहरो पर **lining** का कार्य किया जाना था ताकि दरारों के कारण हो रहे जल रिसाव को रोका जाए एवं इससे हुई जल के अतिरिक्त बचत को प्राप्त सिंचाई के अधिक जल उपलब्ध कराया जाए। इन योजनाओ की प्राविधिक स्वीकृति फ़रवरी 2014 में प्रदान की गयी थी। केंद्र सरकार के द्वारा **AIBP** योजना को बन्द कर दिये जाने के कारण वर्तमान में कार्य सका हुआ है और इन दोनों योजनाओ पर **`190.10 lakh** एवं **`154.16 lakh** यथा कुल **`347.26** लाख व्यय करने के पश्चात दोनों योजनाओ में **cumulative** रूप से नवम्बर 2015 तक क्रमश: 64.78 प्रतिशत ***(7150 मीटर के सापेक्ष 4832 मीटर में*** *lining* ***का कार्य हुआ था)*** एवं 64.70 प्रतिशत ***(5020 मीटर के सापेक्ष 3248 मीटर में*** *lining* ***का कार्य हुआ था)*** की भौतिक प्रगति प्राप्त की गयी है। योजना के बन्द होने के फलस्वरूप धनाभाव के कारण कार्य अधूरा पड़ा है और **`347.26** लाख के व्यय के बावजूद योजना के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

उपरोक्त दोनों योजनाओ के अंतर्गत सभी 10 नहरो में लाइनिंग का कार्य एक साथ प्रारम्भ कर दिया गया था किन्तु किसी भी नहर पर कार्य पूर्ण रूपेण संपादित नहीं किया जा सका था। ज्ञातव्य है कि योजना के सम्पादन की जिम्मेवारी खंड पर है और धन के उपलब्धता को ध्यान में रखकर योजना का क्रियान्वयन किया जाना औचित्य पूर्ण होता है ताकि यदि सभी नहरो पर लाइनिंग के कार्य को एक साथ पूर्ण नहीं किया जा सकता हो तो कम-से-कम कुछेक नहरो पर कार्य को पूर्णरूपेण संपादित किया जा सकता था। यह इंगित करता है कि योजना के सम्पादन में प्लानिंग का अभाव था।

उपरोक्त तथ्य को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया कि अवशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए **PMKSI** के अंतर्गत योजना बनाकर स्वीकृति हेतु प्रेषित कि गयी थी। एआईबीपी के अंतर्गत स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन में प्लानिंग के अभाव पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था जो यह सिद्ध करता है कि खण्ड द्वारा बिना **Planning** के योजना को क्रियान्वित किया गया था जिसके कारण किसी भी नहर पर कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर			
	भाग-2अ	कुल	भाग-2ब	कुल
45 /89-90	–	0	1	1
46/95-96	1	1	3	1
28/96-97	–	0	2	1
65/97-98	–	0	1	1
48/98-99	–	0	1	1
66/99-2000	1,2	2	3	1
97/2000-01	1	1	1	1
20/2003-04	–	0	1, 2, 3	3
90/2005-06	1	1	–	0
29/2008-09	–	0	1,2	2
33/2010-11	–	0	1,2	2
97/2011-12	–	0	1	1
17/2013-14	–	0	1	1
80/2015-16	–	0	2	3
कुल		5		19

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनिस्तारित प्रस्तरों के संबंध में, खंड द्वारा उत्तर में बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों का उत्तरलेख कार्यालय महालेखाकर (लेखा परीक्षा), देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्यः- ऐसा कोई कार्य अवलोकित नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, रूद्रपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः शून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री एस.के. वसलियाल	अधिशासी अभियंता	विगत लेखा परीक्षा से अब तक

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री मानस पांडे	वरिष्ठ खंडीय लेखाकार	विगत लेखा परीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, रूद्रपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2